न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट दूदू, जिला दूदू

पीठासीन अधिकारी का नाम – गोपाल परिहार आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या – 04 / 2024

अन्तर्गत धारा – खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक – 04.03.2025

सरकार जरिये रमेश चन्द यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय ।

प्रार्थी – आवेदक

बनाम

1. नवरतन जैन पुत्र भूरामल जैन (विक्रेता एवं मालिक)
   मैसर्स – विशाल ट्रेडर्स,
   बस स्टैण्ड, फागी, दूदू रोड, जयपुर–303005
   निवासी 23 देवनगर, फागी, जिला जयपुर–302005
2. मैसर्स के.आर. सेल्स कॉर्पोरेशन,
   शॉप नम्बर बी–70, राजधानी मंडी सीकर रोड, जयपुर–302012
3. श्री अशोक कुमार मित्तल पुत्र हरि बाबू मित्तल (भागीदार)
   मैसर्स के.आर.सेल्स कॉर्पोरेशन ,
   शॉप नम्बर बी–70, राजधानी मंडी सीकर रोड, जयपुर–302012
4. धीरज कुमार मितत्तल (भागीदार)
   मैसर्स के.आर.सेल्स कॉर्पोरेशन ,
   शॉप नम्बर बी–70, राजधानी मंडी सीकर रोड, जयपुर–302012
5. M/S OMSARTHI DAIRY PRODUCTS PRIVATE LIMITED
   Plot No.91 to 95, block No. 274&275 Satyam Industrial
   Estate, At Bedkhuvanjik, Ta. Vyara, Dst-Tapi Gurjar 394650
6. Shaileshbhai Ashokbhai Pensalwar (Nominee)
   M/S OMSARTHI DAIRY PRODUCTS PRIVATE LIMITED
   Plot No.91 to 95, block No. 274&275 Satyam Industrial
   Estate, At Bedkhuvanjik, Ta. Vyara, Dst-Tapi Gurjar 394650

अप्रार्थीगण – अभियुक्त

उपस्थित अधिवक्ता – रितिका जैन

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।)/51,54 एवं एफएसएसएक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।)/51,54 एवं 26 एफएसएसएक्ट 2006 एवं नियम 2011 सरकार जरिये रमेश चन्द यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय द्वारा पेश किया गया। जिसका सार निम्नानुसार हैः –

1. यह है कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.06.2023 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय के कार्य सम्पादन कर रहा है। मुझे राज्य सरकार के द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एफ5(01)चिस्वा./ग्रुप–3/2022 दिनांक 02.12.2022 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियॉ प्रयुक्त करने के अधिकृत किया गया है।

2. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.06.2023 को शाम 4.30 पी.एम. पर मैसर्स विशाल ट्रेडर्स, बस स्टैण्ड फागी, दूदू रोड, जयपुर पर पहुँचा। वहां पर नवरतन जैन उपस्थित थे। मैंने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर नवरतन जैन स्वयं को अपनी फर्म का विक्रेता एवं मालिक होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नवरतन जैन से वर्ष 2023 का खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञा पत्र मांगा जिस पर उन्होंने मौके पर खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञा पत्र, स्वयं के आधार कार्ड एवं माल के अग्रिम खरीद बिल की छायाप्रति प्रस्तुत की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

3. यह कि आवेदन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स विशाल ट्रेडर्स, बस स्टेण्ड फागी, दूदू रोड, जयपुर पर विक्रेता की दूकान का निरीक्षण करने पर वहां स्थित 3 कार्टन में 500 एल.एल. के 90 पीस नन्द कृष्णा घी पैक्ड आम जनता को उपयोग/विक्रय हेतु रखे हुये थे। जिसमें गुणवत्ता में कमी/मिसब्राण्ड का अंदेशा पर वास्ते नमूना जांच हेतु 4 सिल्ड पैकेट (500ml x 4) नन्द कृष्णा घी पैक्ड खरीदकर उसकी कीमत 918/रूपये विक्रेता नवरतन जैन को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री कजोड एवं राजेश कुमार नागर के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। यह रसीद आवेदन के साथ संलग्न है।

4. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियॉ एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिस पर नवरतन जैन ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5 ए की एक प्रति विक्रेता नवरतन जैन को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए एवं फर्द रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

5. यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 4 सिल्ड पैकेट (500ml x 4) नन्द कृष्णा घी पैक्ड को विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में मूल ही लेबल तैयार कर प्रत्येक

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

नमूना भाग पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के कोड एवं कमांक AN – 3242 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. AN – 3242 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

6. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फॉर्म नं. छः की सात प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज0 जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज0 जयपुर को जमा कराकर फॉर्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फॉर्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय को जमा कराकर रसीदें प्राप्त की।

7. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के पत्र कमांक एफएसएसए/2023/464 दिनांक 13.07.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, राज., जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/2498/एक्ट/2023/2554 दिनांक 03.07.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ नन्द कृष्णा घी पैक्ड सब–स्टेण्डर्ड एवं Contravenes Regulatio No. 2.3.7(2) and Due to presence of foreign fat होना पाया गया। जॉच रिपोर्ट संलग्न है।

8. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर उक्त प्रकरण से संबंधित समस्त पत्रावली श्रीमान् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय को वास्ते अनुमति प्रस्तुत की। अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को न्याय निर्णयन आवेदन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। जिस पर अप्रार्थीगण अभियुक्त द्वारा सब–स्टेण्डर्ड एवं Contravenes Regulatio No. 2.3.7(2) and Due to presence of foreign fat नन्द कृष्णा घी पैक्ड विक्रय/निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लघंन होने से धारा 51, 54 के तहत जुर्माना हेतु आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद मय वर्णित दस्तावेजात व सूची गवाहान के प्रस्तुत किया गया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

उक्त आशय का परिवाद प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। अप्रार्थी की ओर से रितिका जैन एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। गैरसायलान द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि नन्द कृष्णा घी एक रजिस्टर्ड ब्रांड है जिसके बाबत् कोई मिथ्या छाप कभी नहीं रही है। नन्द कृष्णा घी के संबंध में उसकी क्वालिटी को लेकर जो उक्त कार्यवाही संदेहात्मक है। नन्द कृष्णा घी को भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों एवं नियमों के अनुसार ही तैयार किया जाता है। जांच रिपोर्ट संख्या 2023/464 दिनांक 03.07.2023 में नन्द कृष्णा घी का नमूना सब स्टैण्डर्ड व रेगुलेशन गलत प्रकार से बताया गया है। नन्द कृष्णा घी जो नियमों के अनुसार ही तैयार किया गया था एवं वर्षो से उन्हीं नियमेां के तहत घी तैयार किया गया है। किसी प्रकार का कोई गलत कैमिकल/खाद्य पदार्थ नन्द कृष्णा घी बनाने में उपयोग नहीं किया गया है तथा गुजरात सरकार द्वारा नन्द कृष्णा घी को पूरी तरह से शुद्ध होने के कारण गुणवत्ता प्रमाण पत्र दिया गया है। नन्द कृष्णा घी को गुजरात सरकार द्वारा कई बार उत्तम क्वालिटी का घी होने के संबंध में अवॉर्ड से सम्मानित भी किया गया है। आज दिन तक नन्द कृष्णा घी की क्वालिटी के बाबत् किसी भी उपभोक्ता द्वारा कभी कोई शिकायत/रिपोर्ट थाने/संबंधित विभाग में नहीं की गई है।परिवादी की ओर से की गई कार्यवाही एमतरफा है जो परिवादी द्वारा मिथ्या व मनगढंत रूप से किया जाना स्पष्ट है। लेबोरेट्री रिपोर्ट के अनुसार सब स्टैण्डर्ड बताया गया है जबकि हमारी कम्पनी द्वारा करवाये गये लेबोरेट्री टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार ऐसी कोई बात सामने नहीं आयी है। उत्तरदाता द्वारा एफ.एस.एस. एक्ट का नन्द कृष्णा घी का उत्पादन करने में कोई उल्लघंन नहीं किया गया है, ना ही गलत खाद्य पदार्थो/केमिकल से नंद कृष्णा घी कभी बनाया गया है। हमारी कम्पनी द्वारा कराई गई लेबोरेट्री जॉच में सभी मानक निर्धारित मानकों के अनुसार पाये गये है एवं कोई भी सबस्टैण्डर्ड एवं Substandrad and Contravenes Regulation गलत प्रकार से नहीं बताये गये है एवं समस्त कार्यवाही द्वेष भावना से फर्म/कम्पनी की छवि को खराब करने के उद्देश्य से की गयी है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि परिवादी का परिवाद पत्र मय हर्जे-खर्चे सहित फरमाया जाकर मिन उत्तरदाता अप्रार्थी के विरूद्ध की गयी समस्त कार्यवाही को निरस्त किया जावें।

प्रकरण में अप्रार्थीगण वकील ने उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब को ही बहस मानने हेतु निवेदन किया गया। वकील अप्रार्थीगण का निवेदन स्वीकार किया गया।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अप्रार्थी के जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन एवं मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी के प्रतिष्ठान पर उपलब्ध खाद्य सामग्री में गुणवत्ता की कमी के अंदेशें से की गई कार्यवाही नियम एवं प्रकियानुसार की गई है तथा अप्रार्थी द्वारा विकय के उद्देश्य से रखे खाद्य पदार्थ नन्द कृष्णा घी के नमूने में खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार सब स्टेण्डर्ड एवं Contravenes Regulation No. 2.3.7(2) and Due to presence of foreign fat पाया गया है। जिससे नमूना खाद्य पदार्थ सब स्टैण्डर्ड होना पुष्ट होता है। अभियुक्त द्वारा टेस्ट रिपोर्ट दिनांक 03.07.2023 की अपील नहीं की गई है जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी को टेस्ट रिपोर्ट दिनांक 03.07.2023 की रिपोर्ट मिसब्रांडेड होना स्वीकार है।

अतः उपर्युक्त विवेचन से यह सिद्ध होता है कि अप्रार्थी श्री नवरतन जैन (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स विशाल ट्रेडर्स से वक्त निरीक्षण जब्त किया गया नन्द

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

कृष्णा घी पैक्ड नमूना जॉच में सब स्टेण्डर्ड एवं Contravenes Regulation No. 2.3.7(2) and Due to presence of foreign fat पाये जाने से अप्रार्थीगण द्वारा नन्द कृष्णा घी पैक्ड खाद्य पदार्थ का विकय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) का उल्लंघन किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 54 के अन्तर्गत निर्धारित जुर्माना प्रावधान के तहत अप्रार्थीयान 1 लगायात 4 व अप्रार्थी संख्या 6 प्रत्येक पर 50000/रू. अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र, अप्रार्थी संख्या 5 पर 250000/रू. अक्षरे दो लाख पचास रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त अप्रार्थी शास्ति राशि जरिये चालान जमा करा कर चालान की एक प्रति निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर अन्दर इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय दिनांक 04.03.2025 को सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
दूदू

अति. जिला कलक्टर
दूदू